

जलपाईगुड़ी के निकट पाकिस्तानी सर्वेयरों द्वारा भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण

१९. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछली ६ जनवरी को कुछ पाकिस्तानी सर्वेयर जलपाई-गुड़ी के निकट अनधिकृत रूप से भारत की सीमा में घुस आये; और यदि हा, तो घटना का विवरण क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ?

t [PAKISTANI SURVEYORS' VIOLATION OF INDIAN TERRITORY NEAR JALPAIGURI

19. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some "Pakistani surveyors trespassed on the Indian border near Jalpaiguri on the 6th January last and if so, what are the details of the incident; and

(b) whether Government have taken any action in this connection?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) ४ जनवरी १९५९ को दो पाकिस्तानी सर्वेक्षक (सर्वेयर्स), तीन पाकिस्तानी रफ़्टों के साथ जलपाईगुड़ी जिले के थाना कोतवाली के बुरीरजोते नामक गांव में घुस आये; यह भारतीय इलाका था। उन्होंने कुछ प्लाटों का सर्वेक्षण किया और दो सफेद झंडे गाड़ दिये। भारतीय सीमा पुलिस के पहुंचते ही वे पाकिस्तान को भाग गये।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार के पास कड़ा विरोध-पत्र भेजा है और अनुरोध किया है कि भविष्य

में इस तरह की घटनाएँ रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

[THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU) : (a) and (b). On the 4th January, 1959, two Pakistani surveyors, accompanied by three Pakistan nationals, trespassed into Indian territory at village Burir-jote, P.S. Kotwali, District Jalpaiguri, surveyed some plots and planted two white flags. They retreated to Pakistan as soon as Indian Border Police arrived.

The Government of West Bengal have lodged a strong protest with the Government of East Pakistan urging them to take steps to prevent recurrence of such incidents.]

विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का दिया जाना

२०. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) (१) अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को जमीनें दी जा चुकी हैं; (२) उन्हें दी गई भूमि का कुल क्षेत्रफल क्या है; (३) उनमें से कितने ने उन जमीनों का कब्जा नहीं लिया है जो उन्हें दी गई थी और क्यों; (४) कितनों ने अपने अलाटमेंटों को खारिज कराने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं और क्यों दिये हैं और (५) कितने मामलों में उनके प्रार्थनापत्र मंजूर हुये; और

(ख) जिन लोगों को खेती के लिये देहातों में जमीनें दी गई हैं, उनमें से कितनों ने अपनी जमीनों के निकट घरो के अलाटमेंट के लिये दरखास्त दी थी और ऐसी कितनी दरखास्ते मंजूर हुईं ?

translation.

t [ALLOTMENT OF LAND TO DISPLACED PERSONS

20. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

(a) (i) the number of displaced persons who have so far been allotted lands; (ii) the total area of land allotted to them; (iii) the number of those allottees who did not take possession of the land allotted to them and why; (iv) the number of such allottees who applied for the cancellation of their allotments and the reasons therefor; and (v) in how many cases their applications were accepted; and

(b) the number of allottees of agricultural lands in villages who applied for the allotment of houses near their lands and how many such applications were accepted?]

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पी० एस० नस्कर) : (क) (१) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की संख्या, जिन को कि जमीनों अलाट की गयी हैं, इस प्रकार हैं :

पंजाब में . . . ४,७७,०००

पंजाब से बाहर . . . ५९,००० ।

(२) २३.५५ लाख स्टैंडर्ड एकड़ पंजाब में और ५.६३ लाख स्टैंडर्ड एकड़ पंजाब से बाहर ।

(३) से (५) तक और (ख) इस संबंध में रखे गये रिकार्ड से यह जानकारी देना संभव नहीं । इस प्रकार की जानकारी के एकत्रित करने में जितना समय, ताकत और मेहनत लगेगी, उसके बराबर प्राप्त होने वाला परिणाम नहीं होगा ।

t[THE DEPUTY MINISTER OF REHABILITATION (SHRI P. S. NASIKAR): (a) (i) The number of displaced persons from West Pakistan

who have been allotted land is as under: —

In Punjab 4,77,000'

Outside Punjab 58,000

(ii) 23'55 lakh standard acres in Punjab and 5 63 lakh acres outside Punjab.

(iii) to (v) of (a) and (b). It is not possible to give this information from the records maintained for the purpose. The labour, time and energy involved in the collection of this information will also not be commensurate with the results to be achieved.]

विस्थापित व्यक्तियों के दावों की छानबीन

२१. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विस्थापितों के कितने दावे बिना छानबीन के शेष पड़े हुये हैं और किस किस श्रेणी के कितने-कितने, और कब तक इस कार्य के पूर्ण होने की आशा है ;

(ख) इस कार्य के पूरा होने में इतनी देर होने का कारण क्या है और इस काम में कितना स्टाफ लगा हुआ है ; और

(ग) कितने केसों में विशेष छानबीन की गई थी और उस छानबीन के बाद कितने केसों में कमी की गई और कितनों में बढ़ो-तरी ?

t [VERIFICATION OF CLAIMS OF DISPLACED PERSONS

21. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of claims of displaced persons still lying unverified, their categories and their respective numbers in each of those categories and the time by when it is expected to complete this work;

tEnglish translation.